जे.पी.आर.5– 905
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – ***se_comml@yahoo.in***

क्र0 जेपीडी / अधी.अ. (वा.) / सी– I / एफ.1(13) / पार्ट–VI / प्रे0 1671 जयपुर, दिनांक– 13-11-2017

आदेश

विषयः– ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित करने हेतु।

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश आदेश संख्या–जेपीआर–5–812 दिनांक 07.10.2016 द्वारा जारी किये गये थे। किन्तु यह पाया गया है कि अभी भी कुछ पेयजल योजनाओं / जल–स्त्रोत पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन करने पर स्थापित एलटी तंत्र से तकनीकी रूप से साध्य होने पर उपरोक्त अनाधिकृत विद्युत कनेक्शनों को नियमित किया जा सकता हैं। यह सुविधा उन्हीं आवेदकों को देय होगी, जो आठ घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के अनुसार आवेदित भार मय 100 प्रतिशत लोड–फैक्टर मानते हुए गत 6 माह की आकलित विद्युत राशि एवं मांग पत्र की राशि जमा कराने को तैयार है। कनेक्शन के लिये मीटर (LPR) पोल पर लगाया जायेगा।

कनेक्शन जारी होने के पश्चात नियमित बिल सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना सुनिश्चित किया जावेगा एवं संबंधित पंचायत द्वारा देय होगा। जिन पेयजल योजनाओं पर नियमानुसार नियमित कनेक्शन नहीं लिये जावेंगे, उनकी जांच के लिये सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जायेगा। सतर्कता जांच के दौरान विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

यह योजना दिनांक 31.01.2018 तक प्रभावी रहेगी।

आज्ञा से

10/11/17

(एस .के. माथुर)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR